न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

भुमानी दास तनय पंचम धोबी , आयु 70 साल, निग0 1966-I/16

निबासी ग्राम बीरउ, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़,

..................आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि 21/06/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वनाम

म0 प्र0 शासन , ...अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह स्वमेव निगरानी आवेदक को तत्कालीन तहसीलदार जतारा/बर्तमान तहसीलदार लिधौरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ—19(1)/91—92 में जारी पटटा दिनांक 30/07/1994 के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार लिधौरा को करने वावद कर रहा है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक को तहसीलदार महोदय जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 4/अ—19(1)/91—92 में आदेश दिनांक दिनांक 30/07/1994 के द्वारा खसरा नंबर 951 रकवा 1.898 , एवं खसरा नंबर 952 में 0.125 हैक्टेयर कुल 2.023 हैक्टेयर का भूमि स्वामी हक का पटटा प्रदान किया गया था।

3— यह कि तत्समय आवेदक का नाम उपरोक्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज भी हो गया था। उपरोक्त पटटा जारी करने के संबंध में छक्की नामक ब्यक्ति द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्र0 क0 05/निगरानी/1994—95 भी प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उसके द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष यह कथन किया था कि उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके निवेदन पर उसका नाम निगरानी से पृथक कर दिया गया था। जो बाद में अदम पैरवी में निरस्त हो गई थी। जिसके उपरांत उपरोक्त के संबंध में कोई अपील निगरानी किसी भी न्यायालय

XXXIX(a)-BR(H)-11 -1-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1966 / I / 2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश **भुमानीदास वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.6.16	(1) 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह स्वमेव निगरानी, आवेदक को तत्कालीन तहसीलदार जतारा/बर्तमान तहसील लिधौरा द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–19(1)/91–92 में जारी पटटा दिनांक 30/07/1994 के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने का आदेश जारी करने वावद प्रस्तुत की है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये , निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अनुसार आवेदक को तहसीलदार जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 4/अ–19(1)/91–92 में आदेश दिनांक 30/07/1994 के द्वारा ग्राम बीरउ, स्थित भूमि खसरा नंबर 951 रकवा 1.898, एवं खसरा नंबर 952 में 0.125 हैक्टेयर कुल 2.023 हैक्टेयर का भूमिस्वामी हक का पटटा प्रदान किया गया था। जिस पर उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार को जारी करने का निवेदन किया गया है। 3– यह कि प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह निर्विबादित है कि आवेदक को प्र0क0 4/अ–19(1)/91–92 में आदेश दिनांक 30/07/1994 के द्वारा तहसीलदार जतारा द्वारा उपरोक्त खसरा नंबरों में दर्शित भूमि का भूमिस्वामी हक में पटटा प्रदान किया गया था। जिस पर उसका नाम राजस्व अभिलेख/खसरा आदि में दर्ज नहीं किया गया था। आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि की बर्तमान के खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं हैं। जिनमें बर्तमान में भूमि शासकीय मद में दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि बर्तमान में भी भूमि शासकीय है। आवेदक द्वारा पटटा की असली प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करके बापिस की	

गई, छायाप्रति निगरानी के साथ संलग्न है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क0 315/निगरानी/94 की आदेश पत्रिका दिनांक 05/12/1994 एवं निगरानी आवेदनपत्र प्र0क0 5/निगरानी/94–95 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है। जिसमें उपरोक्त पटटा बंटन की एक निगरानी छक्की नामक व्यक्ति द्वारा करने के उपरांत निगरानी करने से इंकार किया है। जिसके आधार पर उसका नाम निगरानी से पृथक करने का आदेश दिनांक 05/12/1994 को कलेक्टर द्वारा दिया गया है, तदुपरांत निगरानी अदम पैरवी में निरस्त हो गई। जिससे आवेदक को उपरोक्त प्र0क0 पर जारी पटटा की पुष्टि होती है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। प्रकरण का परिणम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य